

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान / National Institute of Fashion Technology

हिन्दी विभाग / Hindi Deptt. निफ्ट दिल्ली केंद्र / NIFT, Delhi Campus

राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यवृत्त विवरण

दिनांक 12/12/2022 को सायं 3 बजे कार्यसमिति की बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक के दौरान निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:

1. श्रीमती मनीषा किन्नू	अध्यक्ष
2. श्री अमित कुमार सिंह	सदस्य
3. सुश्री सुप्रिया मिश्रा	सदस्य
4. श्रीमती नंदिनी दत्ता	सदस्य
5. श्री सुधीर राणा	सदस्य
6. श्रीमती अर्चना घई	सदस्य
7. श्री शीशपाल	सदस्य
8. श्रीमती अल्का शर्मा	सदस्य
9. श्रीमती सपना वाजपेई	सदस्य
10. श्रीमती प्रीति सिंह	सदस्य
11. सुश्री रिचा खर्कवाल	सचिव

बैठक की अध्यक्षता निदेशक महोदया ने सभी विभाग प्रमुखों का स्वागत करते हुए की। बैठक में आगे निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:


- निदेशक महोदया द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे समय से अपनी हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को जमा कर दें, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में सभी विभागों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर तिमाही रिपोर्ट पर कार्य किया जाएगा।
- निदेशक महोदया द्वारा सभी विभागों को धारा 3(3) के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) के तहत सभी दस्तावेज आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप से जारी किया जाना चाहिए -: सामान्य आदेश/ General Orders, संकल्प/ Resolution, परिपत्र/ Circular,

अल्का शर्मा अमित सिंह सुधीर राणा सुश्री रिचा खर्कवाल सुधीर राणा श्रीमती अर्चना घई


नियम/ Rules, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन/ Administrative & other Reports, प्रेस विज्ञप्तियाँ/ Press Release, सविदाएँ/ Contracts, करार/ Agreements, अनुज्ञप्तियाँ/ Licenses, निविदा प्रारूप/ Tender Form, अनुज्ञा-पत्र/ Permits, निविदा सूचनाएँ/ Tender Notices, अधिसूचनाएँ/ Notifications, और संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़-पत्र/ and Reports & documents to be laid before the Parliament.


- राजभाषा अधिनियम के नियम 5 पर चर्चा करते हुए निदेशक महोदया द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें और नियमानुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दें।


बैठक को समापन की ओर ले जाते हुए प्रभारी-राजभाषा ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं का सार प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया।

  
सुश्री रिचा खर्कवाल  
(कनिष्ठ अनुवाद  
अधिकारी)


  
श्री सुधीर राणा  
(प्रशासन)

  
श्रीमती अर्चना घई  
(स्थापना)

  
श्री शीशपाल  
(वरिष्ठ सहायक  
निदेशक-  
क्रय)


  
श्रीमती अल्का शर्मा  
(सहायक निदेशक-  
प्रशासन)

  
श्रीमती सुपना चाक्रेई  
(सहायक निदेशक-  
सी.ओ.ई.)

  
श्रीमती प्रीति सिंह  
(सहायक निदेशक-  
शैक्षणिक)

  
श्रीमती नंदिनी दत्ता  
(प्रमुख, संसाधन केन्द्र)

  
सुश्री सुप्रिया मिश्रा  
(उपनिदेशक-  
वित्त एवं लेखा)

  
श्री अमित कुमार सिंह  
(प्रभारी, राजभाषा)

  
श्रीमती मनीषा किन्नु  
(निदेशक-दिल्ली  
परिसर)